**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 709**

**सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2015 को उत्‍त्‍ार देने हेतु**

 कंपनियों के साथ एकमुश्त निपटारे के कारण भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण को हानि

709. **श्री अरविन्द कुमार सिंहः** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (आई आर ई डी ए) लिमिटेड द्वारा विभिन्न कंपनियों के साथ एकमुश्त निपटारे के कारण राजकोष को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कथित मामले की जांच प्रारंभ की है और इस संबंध में जिम्मेवारी निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍त्‍ार**

**विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

1. **और (ख**) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान एकमुश्त निपटारे (ओटीएस) की नीति के अंतर्गत 29 मामलों का निपटारा किया गया और 181.17 **करोड़ रुपए की कुल मूल बकाया राशि और 222.40 करोड़ रुपए के बकाया ब्याज और 43.13 करोड़ रुपए के अन्य प्रभारों की तुलना में 208.85 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई। 208.85 करोड़ रुपए की वसूली में 173.17 करोड़ रुपए की मूल ऋण राशि शामिल थी जो बकाया मूल ऋण राशि का 95.58 प्रतिशत है। आंशिक ब्याज और अन्य प्रभारों के कारण नुकसान हुआ। ओटीएस किसी गैर-निष्पादक परिसंपत्ति से बकायों की वसूली करने की एक मानी हुई प्रणाली है और सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा इसे अपनाया जाता है। एकमुश्त निपटान उपलब्ध सुरक्षित परिसंपत्तियों से अधिकतम और सर्वश्रेष्ठ अधिप्राप्ति करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के व्यवहार्य प्रचालन में कठिनाइयों के कारण इनमें से कुछ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा इरेडा को समय पर बकायों का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण सृजित गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का भार इरेडा के प्रचालनों में शामिल सबसे बड़ा क्रेडिट जोखिम था क्योंकि अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर प्रचालित होती हैं और प्रकृति की दशाओं के प्रति अत्यंत प्रवण होती हैं। इस प्रकार एकमुश्त निपटारा विवेकपूर्ण वाणिज्यिक कारणों से किया गया और इसके कारण राजकोष को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान जिन कंपनियों को ओटीएस मंजूर किया गया है, की सूची अनलग्नक-I पर दी गई है।**

**इसके अतिरिक्त इरेडा द्वारा अस्तित्व में आने के बाद से ही बहुत ही अच्छा कार्य निष्पादन किया गया है और इसके द्वारा लाभ अर्जित किए जाते रहे हैं और सरकार को नियमित रूप से लाभांश का भुगतान किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त इरेडा अपनी आय पर आयकर का भुगतान करके भी राजकोष में अंशदान करता है। वर्ष 2008-09 से 2013-14 के दौरान इरेडा के कार्य निष्पादन की मुख्य बातें अनुलग्नक-II पर दी गई हैं।**

(ग) और (घ) **भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।**